श्री. हरिसिंग राठोड (विधानसभाने चुने हुए): सभापती महोदय, सभागृह में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और संविधान इस विषयपर सदनमें चालू बहसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खडा हूँ।

सभापतीजी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे डॉ. आंबेडकरजी इस महामानव के कार्य को प्रणाम करने का अवसर दिया। परमपूज्य डॉ. आंबेडकरजी इतने विद्वान थे, उनका ज्ञानभंडार इतना विस्तृत था कि जब संसदमें संविधान के बारे में चर्चा होती थी, एक एक धारा पर चर्चा हो रहीं थी और इसे मान्यता दी जा रहीं थी, तब उसपर बाबासाहब क्या जबाब देंगे उसकी उत्कंठा हर एक को हो रहीं थी। संसद के अध्यक्ष मा. बाबू राजेंद्र प्रसादजी थे किन्तु जबाब डॉ. बाबासाहब ही देते थे।

इस विषयपर बोलते हुए मुझे एक बात आपको याद दिलानी है। डॉ. आंबेडकरजी ने अंतिम दिन भाषण करते वक्त यह कहाँ था ''चाहे यह संविधान कितनी भी अच्छा हो, फिरभी इस संविधानको अंमलमें लानेवाले लोग बराबर नहीं है, तो इस संविधान का कुछ उपयोग नहीं है।'' आजभी संविधानमें ऐसी कुछ बाते है, जो उन्होंने अपने भरोसे छोड दी थी। वो बाते हमें करनी है।

मैं संविधान की धारा ३४० की बात करना चाहता हूँ। इसके माध्यमसे देशके ५२% लोगोंको न्याय दिलाना था। इस देशमें ५२% आबादी अन्य पिछडे वर्ग की (ओ.बी.सी.) है, इसका अर्थ यह है कि आधे से ज्यादा आबादी अन्य पिछडे वर्ग की (ओ.बी.सी.) है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बाते आपको कह रहा हूँ, कृपया ध्यानसे सुनिए। धारा ३४० के अनुसार मंडल आयोग गठित हुआ। मंडल आयोगसे सबको मिलाके २७% आरक्षण ओ.बी.सी. को दिया और उसमें ३०००-३५०० जातीयोंको समाविष्ट किया। मंडल आयोग के एक सदस्य श्री. एल.आर. नाईक ने मंडल आयोग के परिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किए। श्री. एल.आर. नाईक ने कहाँ, ''मंडलजी यह आप कर रहे है वह ठीक नहीं हो रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए की इसमें बॅकवर्ड और मोस्ट बॅकवर्ड जो अतिपिछडे है और कम पिछडे है, उनको अलग कर दिजिए।'' उन्होंने कहाँ की, डॉ. आंबेडकरजीने जब आरक्षण की नीती अपनायी थी तब शाहू महाराजने ऐसा उदाहरण दिया था कि यदि एक हट्टाकट्टा घोडा और एक दुर्बल घोडो इन दोनों को एकही टोकरी में चना खाने को दिया जाए तो हट्टाकट्टा घोडा सब चने खा जाएगा और दुर्बल घोडे को कुछ भी नहीं बचेगा। २७% आरक्षण का ऐसा ही हुआ है।

सभापती मैं पिछले २० बरस यह एकही बात देशमें पेश कर रहा हूँ। २७% आरक्षण का विभाजन होना चाहिए। में जो बात कर रहा हूँ, उसकी देशभर चर्चा हो रहीं है, लेकिन इस सभागृहमें इसके लिए पहला अवसर मिला हैं। मे आपका आभारी हूँ। मैने यह बात २० बरस पहले माननीय अटल बिहारी बाजपेयी, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी इन सबके सामने रखी थी और वे इससे सहमत हुए थे। इस बात पर विमुक्त और घुमंतू जातीयों के लिए एक आयोग गठित हुआ था और प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडेजीने मुझे इस आयोग का सदस्य बनाया था। विद्यमान प्रधानमंत्री माननीय श्री. नरेंद्र मोदीजी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री. शिवराज चौहान इनसे रामभाऊ म्हाळगी प्रशिक्षण संस्था में एक घंटा चर्चा की। कॉंग्रेसने पिछडे वर्गोके लिए कुछ किया है, अब हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि हम कुछ करें। महाराष्ट्र में जिस तरह हमने (अन्य पिछडे वर्गोंका) विभाजन किया है, उसी तरह हम देशमें (अन्य पिछडे वर्गों का) विभाजन करेंगे।

यहाँ मराठा और धनगरोंके आरक्षण का सवाल पैदा होता है। इसमें पूरी राजनीती है। सब जगहसे सब तरहसे राजनीती चल रहीं है। सच्ची बात बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्रीजी क्या बोले थे वह हम भूल गए हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जैसा धनगरोंका सवाल हैं वैसा बंजारोंका भी है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। धनगरों को आरक्षण है और विमुक्त-घुमंतूओं को आरक्षण नहीं है। माननीय शरद पवारजी ने महाराष्ट्र में धनगरों को ३.५% आरक्षण दिया है, फिरभी आप कहते है, धनगरों को आरक्षण नहीं। उसके लिए आप चिल्ला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने कहा था कि आदिवासीयोंके आरक्षण को क्षति पहुँचे बिना धनगरों को आरक्षण देंगे। इसका अर्थ क्या हैं? तीसरी सूची। मैं पूरे देशमें चिल्लाकर कह रहा हूँ कि अन्य पिछडे वर्गोंका विभाजन करें उसके बिना धनगरोंको आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं शुरू में द्वितीय श्रेणी में रेल यात्रा करता था। मैं धामणगाँव में ट्रेनमें बैठता था। गाडी अकोला स्टेशनपर आनेपर उस डिब्बेमें बैठे हुए यात्री डिब्बे के दरवाजे बंद कर देते थे और अकोला स्टेशनपर किसीको भी अंदर नहीं आने देते थे। आदिवासी लोग ट्रेन में बैठे है। वे अभी हमें अंदर आने नहीं देते है, ऐसी आज की स्थिती हैं। वहीं स्थिती मराठा समाजकी है। हमनें जल्दबाजी में मराठा समाजको आरक्षण देने का निर्णय लिया। वह गलत तरीकोंसे लिया है। माननीय न्यायालयने क्या बताया है? आरक्षण के लिए कौनसे निकष है? मै आपके भले की और फायदे की ही बात कर रहा हूँ। उसकी वजहसे आपके सब सवाल सुलझ जाऐंगे। आप कृपया थोडे समय शांत रहिए। आप कृपया मेरी बात सुनिए। मराठा समाजके लिए आरक्षण देते वक्त आपको यह

सिद्ध करना होगा कि वे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोन से पिछडे हुए हैं। दूसरी बात यह हैं कि उनमें असमानताएँ हैं। आपको संविधान की धारा १६(४) के नुसार यह सिद्ध करना होगा कि उनका सरकार में, नौकरीयों में उचित तरहसे प्रतिनिधित्व नहीं हैं। काँग्रेस दल की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधीजीने देशपर बहुत उपकार किए हैं। केंद्र में यू.पी.ए. सरकार सत्तामें था, तब उन्होंने देश के सब जातीयों / समाजों की जनगणना की हैं। हर एक की जनसंख्या सरकार के पास मौजूद है। देशमें मराठा, बंजारा, वडार, भोई इन समाजों की जनसंख्या कितनी हैं, यह संगणक में दर्ज की गयी हैं। इस समस्या को सुलझाने के उपाय में आपको बता रहा हूँ। आपके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है।

राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग ने हाल ही में एक परिवेदन दिया हैं। उन्होंने बताया हैं कि अन्य पिछडे वर्ग २७% है, उनके तीन हिस्से किजीए। एक विमुक्त-घुमंतू, दूसरे आंत्यतिक पिछडे वर्ग, उसमें नाई, धोबी, लुहार, सुतार, सोनार, माली, तेली और तिसरा वर्ग शेष रहे कुणबी, मराठी। महाराष्ट्र में ७०% मराठा समाजके लोगोंने पहले ही कुणबी होने का ओ.बी.सी. (अन्य पिछडे वर्ग) का प्रमाणपत्र लिया है। मैं ऐसा कहता हूँ कि माननीय श्री. मोहन भागवत साहब ने जो बताया हैं वह सच बताया हैं। आप उसपर राजनीती न करें। आपने बराबर जबाब नहीं दिया हैं। माननीय श्री. मोहन भागवत ने कहा हैं कि आरक्षण का पुनर्विचार करों। हरीभाऊ राठोड वहीं कह रहा हैं। आप आरक्षण का पुनर्विचार करें। देशमें यु.पी.एस.सी. के माध्यम से आय.ए.एस. और आय.पी.एस. के १३०० पदों की भरती की जाती हैं। इनमें से ३५० पद ओ.बी.सी. समाजको मिलनी चाहिए। १३०० पदों में वडार, भोई, कोळी, गोवारी, बंजारा, वंजारी, मसणजोगी,नंदी बैलवाले, तेली, तांबोडा, बेलदार समाजके कितने लोग है? कहाँ हैं हमारे यह बंधू? आप इसके बारेमें क्यों नहीं सोचते? डॉ. बाबासाहबने क्या कहाँ? उन्होंने कहाँ था कि समानता चाहिए। कानून के सामने सब समान हैं। देश के सब नागरिक समान हैं। समान का अर्थ यह हैं कि समान लोगों की तुलना असमान लोगों से नहीं की जानी चाहिए। समानोंकी तुलना समानोंसे की जानी चाहिए। आप समानोंकी तुलना असमानोंसे मत करों। डॉ. बाबासाहबने यह स्पष्ट किया हैं। इसलिए यदि राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग की शिफारिसों पर अंमल किया जाए तो धनगर, गोवारी, मराठी, विमुक्त-घुमंतू लोगोंकी समस्याओं का हल होगा। यह मैं नहीं कहता, संविधान की धारा ३४० के अनुसार राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग का गठन किया हैं और न्यायमूर्ती ईश्वर इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह प्रतिवेदन दिया है। आप वह देखिए, वह इंटरनेटपर उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द दूर हो जाएगा। हमें आरक्षण चाहिए। आप अनुसूचित जमातीके 'अ', 'ब' और 'क' ऐसे तीन हिस्से

किजिए। विमुक्त-घुमंतूओं को अनुसूचित जमाती 'अ' में समाविष्ट किजिए। धनगर, वडार, कोळी समाजको अनुसूचित जमाती 'ब' में किजिए और उर्वरित अन्य पिछडे वर्ग ऐसे किजिए। यह महत्वपूर्ण सवाल है। हम सबको इसका विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्रीजीने इस तरफ प्रधानमंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजी तेली समाजके है। तेली समाज आत्यंतिक पिछडे वर्ग में शामिल है। इसका अर्थ यह है कि उनका काम मुझेही करना पड रहा है। आप कहते हैं वैसा नहीं है। अपने नेता प्रस्ताव लेकर दिल्ली गए हैं। मैं उनका नाम नहीं लुगाँ, उन्होंने मुझसे सूचना ली। यह महत्वपूर्ण समस्या है। मैंने पूरी सूचना www.haribhaurathod.org इस संकेतस्थल पर अपलोड की है। आप उसका अभ्यास करें और इस समस्या का हल निकाले। यह सवाल सुलझ जाएगा। डॉ.बाबासाहबने संविधान की रचना करतें हुए आर्थिक, सामाजिक ऐसा प्रस्ताव रखा था। अभी सरजीने कहाँ कि हमें आर्थिक न्याय मिला नहीं। डॉ. आंबेडकरजीने कहाँ था खेती और उद्योगका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कहाँ हुआ राष्ट्रीयकरण? उस समय कुछ लोगों ने वह प्रस्ताव में भी आने नहीं दिया। डॉ. आंबेडकरजीने उसके बारे में नाराजी जतायी हैं। यदि वह हो जाता तो अमीर-गरीब यह जो भेद है वह दूर हो जाता,किन्तु वह नहीं हुआ। डॉ. आंबेडकर ने बॅकर्लेका उदाहरण दिया था। सत्ता देना सरल हैं किन्तु सयानापन देना मुश्किल है। हमनें आपको सत्ता दी किन्तु सयानापन कौन देगा? वह मुश्किल हैं। डॉ. आंबेडकरजीने नीतीमत्ता के बारे में कहाँ था। नीतीमत्ता महत्वपूर्ण है, इसलिए आपने योजना आयोग का नाम बदलकर नीती आयोग किया। शायद वह यहीं होगा। हमें नीतीमान होना चाहिए। डॉ. आंबेडकरजीने हिन्दू समाजपर बडे उपकार किए हैं। उन्होंने कहाँ था, मैं हिन्दू पैदा हुआ किन्तु हिन्दू मरुँगा नहीं। यदि आंबेडकरजीने मुस्लिम धर्म अपनाया होता, तो आपका क्या होता यह सोचिए। डॉ. आंबेडकरजी के हिन्दू समाजपर बडे उपकार हैं। हमारा धर्म कौनसा है यह हमें मालूम नहीं हैं।

उपसभापती : अभी सन्माननीय सदस्य श्री. अनंत गाडगीळ अपना भाषण शुरु करें।

श्री. हरिसिंग राठोड : डॉ. बाबासाहब आंबेडकरने कहाँ था कि विमुक्त-घुमंतू समाजके लिए बजट होना चाहिए, किन्तु उनके लिए कुछ बजट नहीं। मैं आपको संविधान का अंश बता रहाँ हूँ। संविधानमें वैसा प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद ३३८ के मुताबिक.....

उपसभापती : आप कृपया समाप्त किजिए। मैंने सन्माननीय सदस्य श्री. अनंत गाडगीळ को बोलने की अनुमती दी हैं।

श्री. हरिसिंग राठोड : मैं आपको संविधान का प्रावधान पढके दिखा रहाँ हूँ।

उपसभापती : संविधान ने प्रावधान हमें मुखोद्गत हैं।

श्री. हरिसिंग राठोड : उनपर अंमल नहीं हो रहाँ हैं यह मुख्य समस्या हैं, इसलिए हमें भारतीय जनता पक्ष की सरकार लानी पडीं। यदि दलित समाज को सामाजिक, आर्थिक न्याय देने के लिए सत्ताधारी पक्ष के लोग बदल गये तो विपक्ष के लोगों को भी बदलना चाहिए। आपने जो हाल पैदा किए हैं, उनसे आपको भगवान ही बचा सकता हैं। आप सिर्फ २७% का विभाजन करें। यह साल बाबासाहब आंबेडकर जी का न्याय वर्ष हैं। मैं माँग करता हूँ कि आप इस वर्ष पिछडे हुए लोगोंको न्याय दे। मै अपना भाषण समाप्त कर रहाँ हूँ। धन्यवाद, जयभीम, जय सेवालाल

उपसभापती : मैं सन्मान्य सदस्यों को बिनती करता हूँ कि हर सन्माननीय सदस्य को बोलने के लिए दस मिनट का समय निर्धारित किया हैं, उसमें दो या पाँच मिनट हम बढाते हैं। उसके बाद सूचना देनेके बाद भी सदस्य नीचे नहीं बैठते, तो वह उचित नहीं हैं।